

कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग), सम्भल (बहजोई)।

संख्या :- 174 (18) / सात-भूलेख/स्वामित्व योजना/2020-21, दिनांक :- 28 अगस्त, 2020

--: ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया सूचना :-

उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-14, लखनऊ की अधिसूचना संख्या- 442/एक-14/2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-43 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला सम्भल के नौ सौ तेरह (913) ग्राम, ग्राम आबादी के क्षेत्रों की सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ अधिसूचना दिनांक 15.07.2020 के गजट में प्रकाशित किये जाने से भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे गये हैं।

उक्त के अनुपालन में मैं अविनाश कृष्ण सिंह (आईएएस), जिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई) अधोलिखित सूची में अंकित जनपद के 300 ग्रामों में निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार सर्वे हेतु कार्य सम्पादित किये जाने का आदेश देता हूँ।

क्र० सं०	सर्वेक्षण गतिविधि	अवधि			
1	जिलाधिकारी (जिला अभिलेख अधिकारी) द्वारा सर्वेक्षण कार्य की सूचना का प्रकाशन कराना।	दिनांक 28.08.2020			
2	जिलाधिकारी (जिला अभिलेख अधिकारी) द्वारा सर्वेक्षण समितियों का गठन करना।	दिनांक 28.08.2020			
3	सहायक अभिलेख अधिकारी (उप-जिलाधिकारी) द्वारा ग्राम पंचायतों की बैठको हेतु नोटिस निर्गत करना।	दिनांक 29.08.2020 को क्लस्टर 01 से 06			
		दिनांक 31.08.2020 को क्लस्टर 07 से 12			
		दिनांक 02.09.2020 को क्लस्टर 13 से 18			
		दिनांक 04.09.2020 को क्लस्टर 19 से 24			
		दिनांक 06.09.2020 को क्लस्टर 25 से 30			
4	ग्राम सभाओं की बैठको का आयोजन कर योजना के सम्बन्ध में ग्रामीणों को प्रशिक्षित कराना।	कलस्टर सं०	दिनांक	कलस्टर सं०	दिनांक
		1	31-Aug-20	16	17-Sep-20
		2	1-Sep-20	17	18-Sep-20
		3	2-Sep-20	18	19-Sep-20
		4	3-Sep-20	19	21-Sep-20
		5	4-Sep-20	20	22-Sep-20
		6	5-Sep-20	21	23-Sep-20
		7	7-Sep-20	22	24-Sep-20
		8	8-Sep-20	23	25-Sep-20
		9	9-Sep-20	24	26-Sep-20
		10	10-Sep-20	25	28-Sep-20
		11	11-Sep-20	26	29-Sep-20
		12	12-Sep-20	27	30-Sep-20
		13	14-Sep-20	28	01-Oct-20
		14	15-Sep-20	29	03-Oct-20
15	16-Sep-20	30	05-Oct-20		
5	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों का चूना डालकर चिन्हांकन करना।	कलस्टर सं०	दिनांक	कलस्टर सं०	दिनांक
		1	2-Sep-20	16	19-Sep-20
		2	3-Sep-20	17	21-Sep-20
		3	4-Sep-20	18	22-Sep-20
		4	5-Sep-20	19	23-Sep-20


		5	7-Sep-20	20	24-Sep-20
		6	8-Sep-20	21	25-Sep-20
		7	9-Sep-20	22	26-Sep-20
		8	10-Sep-20	23	28-Sep-20
		9	11-Sep-20	24	29-Sep-20
		10	12-Sep-20	25	30-Sep-20
		11	14-Sep-20	26	01-Oct-20
		12	15-Sep-20	27	03-Oct-20
		13	16-Sep-20	28	05-Oct-20
		14	17-Sep-20	29	06-Oct-20
		15	18-Sep-20	30	07-Oct-20
6	आधुनिक तकनीक (ड्रोन) से सर्वेक्षण तिथि की सूचना ग्रामवासियों को देना।	कलस्टर सं०	दिनांक	कलस्टर सं०	दिनांक
		1	1-Sep-20	16	18-Sep-20
		2	2-Sep-20	17	19-Sep-20
		3	3-Sep-20	18	21-Sep-20
		4	4-Sep-20	19	22-Sep-20
		5	5-Sep-20	20	23-Sep-20
		6	7-Sep-20	21	24-Sep-20
		7	8-Sep-20	22	25-Sep-20
		8	9-Sep-20	23	26-Sep-20
		9	10-Sep-20	24	28-Sep-20
		10	11-Sep-20	25	29-Sep-20
		11	12-Sep-20	26	30-Sep-20
		12	14-Sep-20	27	01-Oct-20
		13	15-Sep-20	28	03-Oct-20
		14	16-Sep-20	29	05-Oct-20
		15	17-Sep-20	30	06-Oct-20
7	भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकी (ड्रोन) से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण करना।	कलस्टर सं०	दिनांक	कलस्टर सं०	दिनांक
		1	3-Sep-20	16	21-Sep-20
		2	4-Sep-20	17	22-Sep-20
		3	5-Sep-20	18	23-Sep-20
		4	7-Sep-20	19	24-Sep-20
		5	8-Sep-20	20	25-Sep-20
		6	9-Sep-20	21	26-Sep-20
		7	10-Sep-20	22	28-Sep-20
		8	11-Sep-20	23	29-Sep-20
		9	12-Sep-20	24	30-Sep-20
		10	14-Sep-20	25	01-Oct-20
		11	15-Sep-20	26	03-Oct-20
		12	16-Sep-20	27	05-Oct-20
		13	17-Sep-20	28	06-Oct-20
		14	18-Sep-20	29	07-Oct-20
		15	19-Sep-20	30	08-Oct-20
8	भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर आँकड़ों की प्रोसेसिंग कर आबादी क्षेत्र का मानचित्र उपलब्ध कराना।	दिनांक 25.09.2020 से 15.10.2020 तक			

9	सहायक अभिलेख अधिकारी (उप-जिलाधिकारी) के निर्देशन में सर्वेक्षण कर भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रारम्भिक आवासीय अधिकार अभिलेख (घरौनी) तैयार कराना।	दिनांक 16.10.2020 से 31.10.2020 तक
10	प्रारम्भिक आवासीय अधिकार अभिलेख (घरौनी) पर आपत्तियों का आमंत्रण एवं उनका निस्तारण कराना।	दिनांक 01.11.2020 से 30.11.2020 तक
11	सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा आपत्ति-निस्तारण के पश्चात् आवासीय अधिकार अभिलेख (घरौनी) तैयार कराना।	दिनांक 01.12.2020 से 20.12.2020 तक

निम्न तालिका के स्तम्भ-02 कलस्टर में उसके सम्मुख स्तम्भ-05 में अंकित ग्राम सम्मिलित हैं :-

क्र० सं०	कलस्टर सं०	जनपद	तहसील	अधिसूचित ग्राम	कुल ग्रामों की संख्या
01	02	03	04	05	06
1	1	सम्भल	सम्भल	अल्लीपुरखुर्द, अढौल, नसीरपुर, दतावली, लहरा कमंगर	05
2	1	सम्भल	सम्भल	मुजफ्फरपुर, ऐदलपुर, बबैना, मौहरपुरा लखपुरा, सिहोरी	05
3	2	सम्भल	चन्दौसी	गुरसरी, बहोरनपुर स्योडारा, टोडकपुर, मुमरेजपुर उर्फ सुल्तानपुर, रीठ	05
4	2	सम्भल	चन्दौसी	गुरगांव, पैगारफातपुर, मिठनपुर मौजा, फिरोजपुर वोन्डा, बेरनी	05
5	3	सम्भल	गुन्ौर	सिधौला चेत सिंह, कुदारसी, मुबारिकपुर, लहरारतू, कमालपुर	05
6	3	सम्भल	गुन्ौर	उदरनपुर खागी शर्फुद्दीन, उदरनपुर खागी चेत सिंह, हरूपुरा हिम्मत सिंह, हरूपुरा चेतसिंह, भवावला	05
7	4	सम्भल	सम्भल	फतेहपुर उत्तमा, हल्लू सराय (बाहरचुगी), आलम सराय (बाहरचुगी), आलम सराय (अन्दर चुगी), गोविन्दपुर	05
8	4	सम्भल	सम्भल	मौहम्मदपुर टांडा, हिन्डोली, देहली, मुहीउद्दीनपुर, शहवाजपुर सूरानगला, विछौली	06
9	5	सम्भल	चन्दौसी	जहांगीरपुर, मल्हपुर भवानी, धर्मपुर रत्ता, ढढौला, दियौराखास	05
10	5	सम्भल	चन्दौसी	धनुपुरा, चण्डरौथा, छावडा, गुलडिया कलां, हुलासनगर	05
11	6	सम्भल	गुन्ौर	रोरादीप, मढावली, खजुरा इनायतगंज, इकौना	04
12	6	सम्भल	गुन्ौर	सलेमपुर, भैंसरोली, निजापुर, बरौरा, शेरपुर	05
13	7	सम्भल	सम्भल	नूरिया सराय, शैफखां सराय, शहरिया अब्दालनगर, मंगनपुर, कासिमपुर	05
14	7	सम्भल	सम्भल	अढोलामाफी, रफीउद्दीनगर, खानपुर सराय उर्फ आलमपुर, छचैरा, तिगरी	05
15	8	सम्भल	चन्दौसी	खबरिया, बलकरनपुर, भगतपुर पहली, मुडियाखेडा, दारनी	05
16	8	सम्भल	चन्दौसी	फैजुल्लापुर, गन्दूपुरा, बाबेपुर, कुदजनारदार उर्फ धमूनगर, विचेटा काजी	05
17	9	सम्भल	गुन्ौर	सिधौला दौलत सिंह, सिरसा, निरयावली, गवां	04
18	9	सम्भल	गुन्ौर	मुटेना पट्टी गिरधारी सिंह, मुटेना पट्टी रतनकुंवर, खगुपुरा, केसरपुर, हरदासपुर	05
19	10	सम्भल	सम्भल	फतेहपुर सराय, अहलदादपुर खन्ना, ऐंजरी, ऐंजरा, ढकारी	05
20	10	सम्भल	सम्भल	करेली, शेखपुर मढी, कमालपुर सराय (अन्दर चुगी), कमालपुर सराय (बाहर चुगी), कोट	05
21	11	सम्भल	चन्दौसी	कुदफतेहगढ, लालपुर चैचरी, धर्मपुर कुईयां, शहवाजपुर, अटवा	05
22	11	सम्भल	चन्दौसी	चैचरी, भगतपुर मिर्जा, बहटा खास, लखनेटा, खनुपुरा स्योडारा	05
23	12	सम्भल	गुन्ौर	मेदपुर डांडा, पीतम्बरपुर, मौलनपुर डांडा, सलाबरपुर उर्फ करकौरा, इशहाकपुर	05
24	12	सम्भल	गुन्ौर	हैमदपुर, करकौरा, सिधौली कल्लू, भीकमपुर जैनी, भोपतपुर	05
25	13	सम्भल	सम्भल	ख्यासखां सराय, हौज भदेसरा, जलालखां सराय, अबूसईदपुरकलां	04
26	13	सम्भल	सम्भल	उस्मानखां सराय, तुतीपुर इल्हा, बदायूं दरवाजा, वाजिदपुर सराय, मल्ली सराय	05
27	14	सम्भल	चन्दौसी	रतनपुर स्योडारा, सोतीपुरा, सराय ज्वालपुरी, मैथरा, कोकावास	05
28	14	सम्भल	चन्दौसी	आलमपुर कुदईयां, नगला पूर्वा, पत्था मिठनपुर, फतेहपुर डाल, खटैटा	05
29	15	सम्भल	गुन्ौर	सिसौना डांडा, डुप्टा कलां, सुन्दरपुर, चारुपुर डांडा, डुप्टा खुर्द पट्टी चिता	05
30	15	सम्भल	गुन्ौर	डुप्टा खुर्द पट्टी रामसहाय, सिकन्दरपुर खागी, चमरपुरा, कहरौला गर्वी, कहरौला पट्टी शर्की	05
31	16	सम्भल	सम्भल	मुजाहिदपुर सराय, शहजादी सराय, शेरखां सराय (अंदर चुगी), सलेमपुर (बाहर चुगी), हातिम सराय (अन्दर चुगी)	05
32	16	सम्भल	सम्भल	भवालपुर वासली, मछरिया, धामपुर, अखवन्दपुर काफूरपुर, सलारपुर खुर्द	05

8. मुख्य विकास अधिकारी, सम्मल को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित ग्रामों के खण्ड विकास अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।
9. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/नोडल अधिकारी (स्वामित्व योजना), सम्मल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, सम्मल को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करके तदनुसार समस्त कार्य यथा-ग्राम पंचायत की मीटिंग कराना, सरकारी सम्पत्तियों का चिन्हांकन कराकर उनका सर्वेक्षण करना, चूना उपलब्ध कराते हुए उसे आबादी क्षेत्र में डलवाना आदि कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पादित करायें तथा साथ ही सम्बन्धित विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतों में उक्त सूचना चरपा कराना सुनिश्चित करें।
11. बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी, सम्मल को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग करना सुनिश्चित करें।।
12. उप-जिलाधिकारी/तहसीलदार, सम्मल/चन्दौसी/गुन्नौर को सूचना की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस सूचना की प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चरपा करायें तथा चिन्हित ग्रामों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल आदि कर्मचारियों को निर्देशित करके एवं स्वयं भी सतत् निगरानी करते हुए समस्त कार्यवाही ससमय पूर्ण करायें।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्मल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे जनपद की वेबसाईट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. जिला सूचना अधिकारी, सम्मल को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समाचार पत्रों में जनहित एवं राजकीय हित में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।


28/8/2020
जिलाधिकारी/
जिला अभिलेख अधिकारी,
सम्मल (बहजोई)।